छत्तीसगढ़ विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 16,1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामविचार नेताम, विधि और विधायी कार्य मंत्री , विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक 112/एक-4-1/2003, दिनांक 10 फरवरी, 2011 तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक 4404/डी -1537/21-ब/छ.ग./2011, दिनांक 24 जून,2011 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ,छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक / एफ 7-18/2010/32, दिनांक 10 जनवरी, 2011 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी,सदस्य, जिला-बिलासपुर अन्तर्गत कोटा के पुराने पुलिस ग्राउण्ड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण हेतु अनुमति नहीं दिये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में खाद की कालाबाजारी किए जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-30, बिलासपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री अमर अग्रवाल को अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र में दिनांक 7 सितम्बर से दिनांक 10 सितम्बर, 2011 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-83, कोण्डागांव से निर्वाचित सदस्य, सुश्री लता उसेंडी को अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र में दिनांक 7 सितम्बर से दिनांक 10 सितम्बर, 2011 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य, जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) ग्राम पंचायत कोहकापाल के कुमरावंड से लिटीगुड़ा तक सड़क निर्माण करने,

(ii) पोरसागुड़ा से कुरूसपाल मार्ग में पुलिया निर्माण करने ,

(iii) ग्राम पंचायत कलचा में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(iv) ग्राम पंचायत मगनपुर में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(v) ग्राम पंचायत पंडरीपानी खासपारा (पखना खदान) एवं सड़कपारा में विद्युतीकरण करने,

क्रमश: 2

(2) श्री राजू सिंह ठाकुर, सदस्य, तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम कठमुण्डा स्थित करूवा नाले में पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम पंचायत उस्लापुर में हाई स्कूल भवन निर्माण करने ,

(iii) ग्राम पंचायत मुरू में पशु औषधालय खोलने ,

(iv) ग्राम पंचायत उस्लापुर में पशु औषधालय खोलने ,

(v) ग्राम पंचायत बेलमुण्डी-सकरी-पेण्ड्रीडीह बाईपास रोड में स्थित शमशान घाट से सागर तालाब बाईपास रोड तक सड़क निर्माण करने,

(3) श्री ह्रदयराम राठिया, सदस्य, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) मड़िया कछार से पेलमा मार्ग पर स्थित लोकड़ा नाले में पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम कुर्रा में आश्रम शाला खोलने ,

(iii) ग्राम घटगांव में छात्रावास खोलने,

(iv) ग्राम किलकिला (लकराधारा) से नवागांव मार्ग पर स्थित मुड़ानाला नदी में पुलिया निर्माण करने,

(v) लैलूंगा में संचालित 30 बिस्तर अस्पताल का 60 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करने,

(vi) लैलूंगा में कोषालय खोलने,

(vii) ग्राम जतरा से खार मार्ग पर खारून नदी में पुल निर्माण करने,

(viii) ग्राम पंचायत सुबरा से पिपराही के बीच स्थित नदी में पुल निर्माण करने,

(4) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य, बागबाहरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम भलेसर में प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास खोलने,

(ii) नगर पंचायत बागबाहरा में भूमिगत नाली निर्माण करने ,

(5) श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य, चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम कलेपाल में संचालित हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने ,

(ii) ग्राम अलवा में संयुक्त आश्रम शाला खोलने तथा

(iii) ग्राम चिंगीतराई चन्द्रगिरी में संचालित हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे ।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) डॉ.रमन सिंह , मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

<u>निर्धारित समय</u>
1 घंटा 30 मिनट

(3) श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011)पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का रकबा निरंतर कम होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 6 सितम्बर,2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.